



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

विज्ञापन सं : पत्र.सं. 3-2/2021(प्र एवं वि)/मसारावेविप्र/434

दिनांक : 11.07.2026

स्टाफ कार चालक के पद (01-अनारक्षित) पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती हेतु भर्ती सूचना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा स्टाफ कार चालक के 01 पद को प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

*स्टाफ कार चालक के 01 पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना जिसके न हो सकने पर पर सीधी भर्ती द्वारा भरना।

पद का नाम:	वर्गीकरण : समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय
स्टाफ कार चालक	वेतन स्तर : वेतन मैट्रिक्स (7 th सीपीसी) का लेवल-2 (19,900-63,200)
पदों की संख्या: 01 (अनारक्षित)	भर्ती की पद्धति : प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती* *स्टाफ कार चालक के 01 पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरना।
आयु सीमा :	नोट: (प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती)
प्रतिनियुक्ति हेतु : आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।।	शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ प्रतिनियुक्ति : मोटर कारों को चलाने की दक्षता का आकलन करने हेतु ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ऐसे नियमित कर्मचारी जो प्रतिष्ठान में वेतन स्तर-1 के समूह 'ग' में कार्यरत हैं; यदि ये नहीं मिलते हैं तो केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन स्तर-1 में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पद पर कार्यरत पदधारियों अथवा समूह 'ग' के ऐसे नियमित कर्मचारियों में से, जो स्तंभ 7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएँ पूर्ण करते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों अथवा रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हों तथा जिनके पास विहित अनुभव एवं अर्हताएँ हों, उन्हें भी विचारार्थ माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस दिनांक तक प्रतिनियुक्ति अवधि पर रखा जाएगा, जिस दिनांक से उन्हें पुनर्नियोजन पर निरंतर रखा जा सके। यह ध्यान दिया जाए कि प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी, सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक को '55 वर्ष से अधिक' नहीं होनी चाहिए।
सीधी भर्ती हेतु : आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक को आयु 18 से 27 वर्ष। आयु सीमा में छूट मसारावेविप्र एवं भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुमन्य होगी।	

	सीधी भर्ती : अनिवार्य अर्हताएँ : (i) मोटर कारों को चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस का धारक होना चाहिए। (ii) मोटर तंत्र (Motor Mechanism) का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में उत्पन्न होने वाले सामान्य/मामूली दोषों को दूर करने में सक्षम हो।) (iii) किसी सरकारी विभाग/सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में/पंजीकृत निजी फर्म में/कंपनी में/पंजीकृत प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर (Registered Professional Practitioner) के पास मोटर कार चलाने का न्यूनतम तीन (03) वर्षों का अनुभव प्रमाणपत्र एवं (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय योग्यता : होम गार्ड अथवा सिविल डिफेन्स स्वयंसेवक के रूप में तीन (03) वर्ष की सेवा। चयन की विधि : चयन सामान्य अभिक्षमता टेस्ट (90 मिनट) के आधार पर किया जाएगा, जिसके उपरान्त वाहन चालन कौशल एवं मोटर तंत्र के ज्ञान का आकलन करने हेतु टेस्ट आयोजित किया जाएगा, तत्पश्चात् अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। परिवीक्षा : चयनित अभ्यर्थी को दो (02) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकता है।
--	--

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक से 21 दिन होगी।

रोजगार समाचार के 11-17 जुलाई, 2026 के अंक में प्रकाशित।

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक : 31 जुलाई, 2026।

सभी अभ्यर्थी उज्जैन में सामान्य अभिक्षमता टेस्ट (General Aptitude Test) हेतु स्वयं के व्यय पर तीन दिन तक ठहरने की तैयारी करके आएँ। यह अवधि कौशल टेस्ट (Skill Test) के लिए एक दिन और बढ़ाई जा सकती है। सम्पूर्ण व्यय अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।


 सचिव
 मसारावेविप्र, उज्जैन

निबंधन एवं शर्तें

- क. निर्धारित आवेदन-पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है तथा उसे केवल स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रेषित किया जाए अथवा हस्तप्रदाय (Hand Delivery) के माध्यम से प्रतिष्ठान के कार्यालय में जमा कराया जाए, ताकि वह विज्ञापन के दिनांक से 21 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक अथवा उससे पूर्व, कार्यालय के निम्नलिखित पते पर कार्यालय में प्राप्त हो जाए।

सचिव,

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,

वेद विद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश,

पोस्ट-जवासिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456006

- ख. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय/Non-Refundable): आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा :-
प्रतिनियुक्ति हेतु - शून्य
सीधी भर्ती हेतु -

श्रेणी	आवेदन शुल्क
अनारक्षित (UR)	रु. 500/- *
अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर नवोन्नत वर्ग (OBC-NCL) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रु. 250/- *
अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) तथा महिला अभ्यर्थी (सभी श्रेणियाँ)	शून्य

*केवल उस स्थिति में भुगतान करना होगा, जब "प्रतिनियुक्ति" के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो और "सीधी भर्ती" की पद्धति अपनाई जाए।

उपर्युक्त सारणी में दर्शाए गए श्रेणीवार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क को उस पर देय 18% जीएसटी सहित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 'महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन' के पक्ष में, उज्जैन में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना है।

- ग. सरकारी, अर्द्ध-सरकारी संगठनों/संस्थानों अथवा सरकारी स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन उचित माध्यम (Proper Channel) से प्रेषित करें अथवा वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी 'सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Vigilance Clearance Certificate)' के साथ 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (No Objection Certificate)' आवेदन के साथ संलग्न करें।
किसी भी परिस्थिति में वर्तमान विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) के बिना किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (आवेदन पत्र के अनुसार)
- घ. केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन करें, जो नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक हो। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने वर्तमान विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) एवं सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र (Vigilance Clearance Certificate) आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- ङ. यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना अपूर्ण, असंगत, असत्य है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि नियुक्ति के पश्चात् कोई विसंगति पाई जाती है, तो सेवा समाप्ति सहित उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

- च. यदि सामान्य अभिक्षमता परीक्षा (General Aptitude Test) के प्रश्नपत्र में कोई/किन्हीं प्रश्न(नों) अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अथवा उत्तर दिए जाने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न(नों) को निरस्त/विलोपित माना जाएगा तथा अभ्यर्थियों के परीक्षापत्र का मूल्यांकन शेष वैध प्रश्नों के सही उत्तरों हेतु निर्धारित अंकों के आधार पर किया जाएगा।
- छ. लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत प्रश्नपत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी उसी दिन सायं 6:00 बजे तक प्रतिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट (www.msrvvp.ac.in) पर प्रकाशित कर दी जाएगी। प्रश्न पत्र अथवा उत्तर कुंजी के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो, तो वह परीक्षा सम्पन्न होने के 24 घंटे के भीतर अपनी आपत्ति ई-मेल के माध्यम से msrvvp_ujn@gmail.com पर प्रेषित कर सकता/सकती है। निर्धारित 24 घंटे की अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- ज. प्रतिष्ठान किसी भी कारणवश भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आशोधन करने/ उसे निरस्त करने अथवा वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में केवल प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की जाएगी। इस विषय में किसी भी प्रकार का पत्राचार अथवा पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- झ. किसी भी प्रकार की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा तथा किसी भी रूप में की गई पैरवी अभ्यर्थी की निरर्हता का आधार होगी।
- ञ. प्रतिष्ठान बिना कोई कारण बताए उक्त पद को नहीं भरने का अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रखता है।
- ट. प्रतिष्ठान में की जाने वाली नियुक्ति अनंतिम (provisional) होगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character & Antecedents) तथा अन्य प्रलेखों के सत्यापन के अधीन होगी। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई तथ्य अथवा प्रलेख असत्य या कूटरचित (tampered) है, अथवा अभ्यर्थी का पूर्ववृत्त/उसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध है, या उसने ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसकी सेवाएँ बिना किसी नोटिस अवधि के समाप्त की जाएगी।
- ठ. सेवा की आवश्यकता के दृष्टिगत चयनित अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से परिसर में निवास करना होगा। परिसर में निवास कर्मचारी आवास की उपलब्धता के अधीन होगा। स्टाफ कार चालक की सेवा एक अनिवार्य सेवा (Essential Service) है तथा उसे निर्धारित गणवेश पहनना होगा। पदधारी को स्टाफ कार चालक के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से परिसर में निवास करना होगा। पदधारी चालक को विहित आहार-पद्धति तथा अनुशासन सहित वैदिक जीवन-पद्धति का कड़ाई से पालन करना होगा। उक्त पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- ड. यह सूचित किया जाता है कि रोजगार समाचार के दिनांक 07-13 मार्च, 2026 के अंक में प्रकाशित स्टाफ कार चालक पद हेतु विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया 'उपयुक्त नहीं पाया गया (Not Found Suitable)' में संपन्न हो चुकी है। उक्त विज्ञापन के अनुपालन में पूर्व में आवेदन कर चुके इच्छुक अभ्यर्थियों को, यदि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों, इस नवीन विज्ञापन के प्रत्युत्तर में निर्धारित फॉर्मेट एवं पात्रता शर्तों के अनुसार पुनः आवेदन करना होगा।
- ढ. इस भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना/शुद्धिपत्र/अनुशेष आदि प्रतिष्ठान की वेबसाइट (www.msrvvp.ac.in) पर प्रकाशित किए जाएंगे तथा अभ्यर्थी प्रतिष्ठान की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।



इस पद से संलग्न कर्तव्यों के अतिरिक्त, पदधारक को समान स्तर के अन्य सौंपे गए कार्य, जैसे कि डाक प्रेषण, डाटा प्रविष्टि, स्कैनिंग, छायाप्रति (फोटोकॉपी) कार्य, परिसर की देखरेख तथा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी संपादित करने होंगे।

- त. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के साथ अपने संबंध का विवरण घोषित करना अनिवार्य होगा (यथा - माता, पिता, भाई, बहन, साढ़ू, जिठानी/देवरानी, पुत्र, पुत्री, मामा, पिता का भाई (चाचा/ताऊ) आदि)।
- थ. स्टाफ कार चालक के पद के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाणपत्र के साथ एक शपथ- पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वह उन कारों/मोटर वाहनों को निरंतर चलता रहा/रही है, जिनके चलाने के अनुभव का उसने दावा किया है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्रों में किया गया अनुभव संबंधी दावा सत्य है।



आवेदकों के दायित्व

1. आवेदन को लिफाफे के ऊपर "स्टाफ कार चालक के पद हेतु आवेदन" अंकित कर कार्यालय के निम्नलिखित पते पर इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि वह 31 जुलाई, 2026 तक अथवा उससे पूर्व अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठान को प्राप्त हो जाए।
सचिव,
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान,
वेद विद्या मार्ग, चिन्तामन गणेश,
पोस्ट-जावासिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456006
2. आवेदकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन की अंतिम दिनांक तक वे इस पद हेतु विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं तथा अन्य निर्धारित शर्तों को पूर्ण करते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रतिष्ठान विज्ञापित पद के लिए अभ्यर्थियों का लघु सूचीयन (shortlisting) के मानदंड तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विधिवत गठित जाँच समिति (screening committee) उक्त मानदण्डों के आधार पर अभ्यर्थियों की लघु सूची तैयार करेगी। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे आवेदन में निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र की अपनी समस्त शैक्षणिक अर्हताओं एवं अनुभव का पूर्ण विवरण अंकित करें, जिसका समर्थन प्रलेखों द्वारा किया गया हो तथा यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में दी गई सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण एवं सही हों।
4. प्रतिष्ठान अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/प्रलेखों के आधार पर ही आवेदनों पर कार्यवाही करेगा। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी अथवा प्रलेख, किसी तथ्य के ——— लोप (omission) अथवा समावेशन (inclusion) किए जाने के कारण असत्य या त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं दायित्व पूर्णतः संबंधित अभ्यर्थी का होगा तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों, यदि कोई हों, के लिए भी वही उत्तरदायी होगा।
5. जिस किसी विषय के संबंध में कोई विशिष्ट अनुदेश निर्गत नहीं किए गए हैं, उस पर निर्णय प्रतिष्ठान द्वारा लिया जाएगा तथा ऐसा निर्णय (यदि कोई हो) सभी आवेदकों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
6. चयन के मामले में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
7. किन्हीं भी विधिक विवादों का निस्तारण केवल माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ के अधिकारिता के भीतर किया जाएगा।
8. अपूर्ण आवेदनों अथवा जिन आवेदनों के साथ अपेक्षित समर्थक प्रलेख नहीं हैं अथवा अंतिम दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
अ) भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा प्रश्नों का उत्तर प्रदान नहीं किया जाएगा।

शपथपत्र

मैं, _____ (अभ्यर्थी का नाम), श्री _____ (पिता का नाम) का आत्मज/की आत्मजा, वर्तमान में _____ का/की निवासी, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन में स्टाफ कार चालक के पद पर प्रतिनियुक्ति ☐ / सीधी भर्ती ☐ हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं यह भी सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि प्रमाणपत्र में उल्लिखित अनुसार, मैंने चालक के रूप में मोटर कार को नियमित रूप से चलाते हुए _____ वर्षों का मोटर कार चलाने का अनुभव, जैसा कि प्रमाणपत्र में परिलक्षित है, वास्तव में अर्जित किया है।

प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि मेरे चयनित होने की स्थिति में, प्रतिष्ठान के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार परिसर में निवास करूँगा/करूँगी तथा आवास से संबंधित समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर : _____
अभ्यर्थी का नाम : _____
दिनांक : _____

नोट : यह शपथपत्र रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत होना चाहिए।